आदेशपत्रिका निरंतर

25.6.14

राज्य द्वारा एडीपीओउप0

आरोपी बैज,मलखान,ब्रजराज सहित

श्री जी०एस०निगम एड०

आरोपी ब्रजराज की ओर से द0प्र0स0की धारा 44 (2) का प्रार्थनापत्र पेश किया गया प्रार्थनापत्र पर सुना गया प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गयाकि आरोपी की अनु0 की वजय से न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध गिरफतारी वारंट जारी किया है लंबित प्रकरण में आरोपी की आवश्यकता होना प्रकरण से प्रथम दृष्टया परीलक्षित होती है अतः आरोपी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

इसी समय फरियादी हजूरी सिह उप उप0उनकी ओर से एक आवेदन अंतर्गत अधि0श्री धारा,320(2),320(1)द0प्र0स0 का चौरसिया एवं श्री जी०एस०निगम द्वारा पेश किया गया जिसमें यह व्यक्त कियागया कि उसका आरोपीगण से आपस मे राजीनामा हो गया है मध्र संबंध हो गये है अब कोई विवाद शेष नही है। इसलिये न्यायहित मे राजीनामा की अनुमति प्रदान की जावे। फरियादी पहचान अधि0श्री बाबूराम चौरसिया व आरोपीगण की पहचान अधि०श्री जी०एस०निगम द्वारा की गई।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पायागयाकि आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0कीधारा 294,325 के अपराध के आरोप है उक्त अपराध न्यायालय की अनुमति उपरांत राजीनामा योग्य है।

उभयपक्षों के मध्य आपसी राजीनामा बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छापूर्वक कियागया उभयपक्ष के मध्य वैमनस्थता न बढे इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुये उभयपक्षो की ओर से आपसी राजीनामा की अनुमति प्रदान की जाकर आरोपी को भा0द0वि0की धारा 294,325 के आरोपित आरोप से आरोपी बैजू, मलखान को दोषमुक्त किया जाताहै उसके जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं। आरोपी ब्रजराज को आरोपित आरोप से उन्मोचित किया जाकर अभिरक्षा से छोड़ा गया। आरोपी ब्रजराज को जारी वारंट अदम तामील थाने से वापिस बुलाये जाने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को पत्र जारी किया जावे।

प्रकरण मे निराकरण हेतु मुददेमाल

प्रकरण का परिणाम दर्ज करअभिलेख दाखिल रिकार्ड हो।

नही है।

एस०डी० जे०एम०एफ०सी०गोहद